कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी बलिया

विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु अति आवश्यक सूचना

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–1368/क0, दिनांक–06.08.2025 के आदेशानुसार रिक्त पदों पर विकास मित्रों का नियोजन किया जाना है। अनुमंडल, बलिया अन्तर्गत विकास मित्र के नियोजन हेतु रिक्त पदों की विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0	नियोजन इकाई का नाम प्रखंड/नगर निकाय	पंचायत /वार्ड समूह	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की जाति बहुलता	रिक्त पदों का आरक्षण का कोटि
1	2	3	4	5	6
1.	बलिया	भवानन्दपुर	01	चमार	अनारक्षित कोटि

1. **विकास मित्र नियोजन का कार्यक्रम** :–
   संबंधित प्रखंड में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि : 19.08.2025 से 29.08.2025 तक
   मेघा सूची तैयार करने एवं प्रकाशन करने की तिथि: 03.09.2025
   मेघा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं निराकरण की तिथि : 04.09.2025 से 06.09.2025
   चयन सूची के प्रकाशन की तिथि : 10.09.2025
   नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण की तिथि : 15.09.2025
2. आवेदन पत्र जमा करने तथा मेघा सूची पर आपत्ति देने का स्थानः प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलिया का कार्यालय।
3. **चयन हेतु अर्हता** :– (1) आवेदक महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होगें। (2) जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी हों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। (3) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (4) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है:– (i) नन–मैट्रिक (ii) नौवी पास (iii) आठवीं पास (iv) सातवीं पास (v) छठा पास (vi) पांचवी पास।

   सर्वप्रथम नन–मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम में चयन किया जायेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में कम शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे– वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) चयन किया जायेगा। अगर दो या दो से अधिक जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता सामान्य हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जायेगा। (5) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। (6) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
4. **आयु सीमा** :– आवेदक की उम्र दिनांक–01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष तक होनी चाहिय।
5. **जाति बहुलता** :– आवेदक महादलित परिवार से होगा। उपर्युक्त रिक्ति के अनुसार जिस महादलित जाति की बहुलता है, उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
6. **नियोजन की अवधि** :– विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। नियोजन के पश्चात् किसी भी समय उनके चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। नियोजन समाप्ति पर मात्र किये गये कार्य अवधि का ही मानदेय भुगतान देय होगा।

- **अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में गठित विकास मित्र चयन समिति द्वारा विकास मित्र का चयन किया जायेगा।**
- **अधिक जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलिया/अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।**

18/8/25

अनुमंडल पदाधिकारी,
बलिया।